उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)

शक्ति भवन, विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या– 2104 –औ0सं0 / 2013–27–एफ0 / 80 (VOL-I) दिनांक 11 जुलाई, 2013

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल / पूर्वान्चल / दक्षिणांचल / पश्चिमांचल
विद्युत वितरण निगम लि0,
लखनऊ / वाराणसी / आगरा / मेरठ / कानपुर।

विषय :–कार्यालय सहायक (तृतीय) पद पर मृतक आश्रित सेवायोजन के प्रकरणों में स्नातक आर्हता के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रायः यह देखा जाता है कि मृतक आश्रित सेवायोजन के प्रकरणों में मृतक आश्रित की शैक्षिक आर्हता बी0ए0 / बी0काम / बी0एस0सी0 के अतिरिक्त बी0सी0ए0, बी0बी0ए0 आदि आर्हताओं को स्नातक मानने अथवा अन्यथा के सम्बध में प्रकरण कारपोरेशन (मुख्यालय) को सन्दर्भित किये जाते है, ऐसी स्थिति में मृतक आश्रित सेवायोजन प्रदान किये जाने में विलम्ब होता है।

उक्त के दृष्टिगत मृतक आश्रित सेवायोजन के प्रकरणों के निस्तारण में स्नातक उपाधि के अर्न्तगत निम्नवत् परामर्शित किया जाता है :–

"विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 (यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन) से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त बी0ए0 / बी0कॉम0 / बी0एस0सी0 / बी0सी0ए0 / बी0बी0ए0 / बी0ई0 / बी0टेक आदि सभी बैचलर की उपाधियाँ "स्नातक" आर्हता समझी जाये।"

विश्वविद्यालय अथवा शैक्षिक संस्थान की मान्यता के सम्बन्ध में यदि कोइ संदेह हो तो सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, यू0जी0सी0 (यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन) से विश्वविद्यालय व संस्थान की वैद्यता की पुष्टि अपने स्तर पर सुनिश्चित करते हुये मृतक आश्रित के प्रकरणो का निस्तारण करें। मृतक आश्रित सेवायोजन सम्बन्धी अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत् पूर्व की भाँति प्रभावी रहेगे।

भवदीय,

(सुनील दत्त शर्मा)
महाप्रबन्धक (औ0सं0)

संख्या– 2104 –(1)–औ0सं0 / 2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक (का0प्र0 एंव प्रशा0) / (वितरण) / (वित्त) / (वाणिज्य) / (कारर्पोरेट–प्लानिंग), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, के निजी सचिव, शक्ति भवन, लखनऊ।

2– निदेशक (आपरेशन) / (प्रोजेक्ट) / (कार्मिक प्रबन्ध), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, के निजी सचिव, शक्ति भवन, लखनऊ।

क्रमशः / 2

3– अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग/जाँच समिति–प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

4– समस्त मुख्य अभियन्ता, (वितरण/पारेषण) को इस अभियुक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध कराने हेतु।

5– मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

6– समस्त उप–महाप्रबन्धक (औद्योगिक–सम्बन्ध)/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

7– समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त), उप–मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

8– समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा–स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

9– अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेब साइट **www.uppcl.org** पर लोड करने हेतु।

10– कट फाइल।

(सुनील दत्त शर्मा)
महाप्रबन्धक (औ0सं0)